न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

प्र.सं. 161/2021
सीसीएमएस : 2021/00408

1. सुनील कुमार पुत्र श्री सोमदत्त जाति बिश्नोई निवासी 8 एम.के.ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।

—:प्रार्थी

बनाम

1. सरस्वती पत्नी श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 8 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
2. सोमदत्त श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 8 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
3. अलका पुत्री श्री राजाराम पत्नी श्री शिवकुमार जाति बिश्नोई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला श्री हनुमानगढ़ ।
4. रिछपाल श्री राजाराम जाति बिश्नोई निवासी 8 एम के तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
5. सुनीता पुत्री श्री राजाराम पत्नी श्री सुरेन्द्र सहारण जाति बिश्नोई निवासी 55 एन पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गगांनगर।
6. ममता पुत्री श्री सोमदत्त पत्नी श्री अमरचन्द जाति बिश्नोई निवासी 3 एम एस डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर।

—:अप्रार्थीगण

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

तारीख रजू 18.08.2021

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री अजय कुमार धारणीयां .प्रार्थी अधिवक्ता.
2. श्री सुशील कुमार गोदारा अप्रार्थीगण अधिवक्ता
3. श्री अनिल कुमार बिश्नोई अप्रार्थीगण अधिवक्ता

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक :— 30.07.2024

1- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के पति व पिता श्री राजाराम पुत्र श्री रामरख के नाम से वाके चक 8 एम के तहसील रायसिंहनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2076—2079 के खाता सं. 90/68 के प.न. 162/298 में 1.771 है0 नहरी भूमि खातेदारी थी। श्री राजाराम की देहान्त के पश्चात् अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम से राजस्व अभिलेखा में बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज हुई । जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2076—2.79 व नामान्तरण दर्ज हुआ। प्रार्थी के दादा श्री राजाराम के दो पत्नीयां थी । पहली पत्नी रोशनी देवी का देहान्त दिनांक 10.6.1983 को चुका हैं। प्रार्थी की दादी रोशनी देवी के प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं. 2 सोमदत्त अकेले वारिस थे। दुसरी दादी अप्रार्थी सं. 1 सरस्वती के अप्रार्थी सं. 3 ता 5 संतान है तथा प्रार्थी के दादा श्री राजाराम व दादी रोशनी देवी के देहान्त के पश्चात् उक्त विवादित भूमि का नामान्तरण अप्रार्थी सं. 1 ता 5 के नाम बहिस्सा बराबर हर 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक [illegible] दादा राजारा की दो पत्नीया रोशनीदेवी व सरस्वती का एक हिस्सा [illegible] है [illegible] प्रार्थी दादी रोशनी देवी के देहान्त के पश्चात् [illegible] हिस्सा [illegible] अप्रार्थी सं. 1 सरस्वती के नाम ही दर्ज गई। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 के नाम की उक्त भूमि 1/5 हिस्सा की तादादी 0.354 है. हिन्दु खानदान की को[illegible]री सम्पति की परिभाषा में आती है। प्रार्थी की दादी सरस्वती अप्रार्थी सं. 1 70 साल वृद्ध औरत

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:29:15 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

रीदारा व श्री अनिल कुमार बिश्नोई अधिवक्तागण हाजिर आये । जबाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं 1, 3 ता 5 की ओर जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया कि अपने जबाव प्रार्थना पत्र में विरोध प्रकट करते हुये कथन किया कि मृतक राजाराम की मृत्यु के समय बतौर पत्नी अप्रार्थी सं. 1 सरस्वती जीवित होने से हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों अन्तर्गत ही 1/5 हिस्सा समस्त खातेदारी हक व अधिकार हासिल होकर तदनुसार काबिज है । विधिनुसार दो पत्नियां जीवित होने की वंशा में दोनों का एक यूनिट मानी जाकर हिस्सा तैय होता है , मृतक पत्नी का कोई हिस्सा कानुनन नहीं होता । हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत अप्रार्थी सं. 1 की 1/5 हिस्सा 0.354 है. पैतक न होकर भूमि स्वअर्जित श्रेणी की है। अप्रार्थी सं.1 अपने 1/5 हिस्सा के रकबे बिना किसी बाधा के काबिज होकर उपयोग–उपभोग निरन्तर करती आ रही है ओर आईन्दा भी कर पाने की अधिकार रखती है जिसमें प्रार्थी या अन्य अप्रार्थीगण कोई बाधा नहीं डाल सकते। प्रार्थी मात्र अपने पिता अप्रार्थी सोमदत्त के 1/5 भाग रकबा से ही अपना हिस्सा क्लेम कर सकता है, प्रार्थी का कोई 0.283 है. रकबा पर अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त या एकल रू॰ से कब्जा काश्त नहीं है ना ही विवादित रकबा मे प्रार्थी की कोई फसल ही है । सारे तथ्य वाद को बल देने के लिहाज से झूठे लिखवाये है जिनका कोई विधिक मूल्य नहीं है। मिन अप्रार्थी सं. 3 ता 5 अपनी माता अप्रार्थी सं. 1 से लगाव अवश्य है मगर उनकी स्वअर्जित भूमि हड़पने की कोई मंशा नहीं रखते ओर उनका माता पर कोई दबाव व प्रभाव किसी प्रकार का न होकर अप्रार्थी सं. 1 स्वेच्छपूर्वक स्वतंत्र रू॰ से अपना जीवन व्यतीत कर रही है ओर अपनी भूमि पर स्वयं काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रही है। अप्रार्थी सं. 1 अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती है ओर अपनी जिन्दगी व सम्पति के अहम निर्णय लेने की क्षमता रखती है। प्रार्थी ने मिन अप्रार्थी सं. 4 ता 5 के विरूद्व सारे आक्षेप मात्र वाद को बल देने के लिहाज से झूठे लिखवाये है जिनका कोई विधिक मूल्य नहीं है। प्रार्थी का अप्रार्थी सं.1 के 1/5 हिस्सा की स्वअर्जित भूमि पर कोई हक व अधिकार निहित नहीं होने से खातेदारी अधिकार घोषित करवा पाने के कतई विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व वांछित स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अपने अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि प्रार्थी खातेदार टिनेन्ट नहीं होने से वाद लाने काक विधिक अधिकारी न होने से वाद प्रार्थी काबिल निरस्ती के होने से प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टि में ही काबिल निरस्ती के है। हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों अन्तर्गत ही 1/5 हिस्सा के रकबा अप्रार्थी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति है। प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी सोमदत्त के 1/5 हिस्सा से कानूनन क्लेम नही कर सकता अन्य की भूमि में नहीं। इसलिये प्रार्थी का वाद चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रथम दृष्टि में ही काबिल निरस्ती के है। प्रार्थी ने यह वाद अप्रार्थीगण को नाहक हेरान परेशान कर दबाव बनाते हुये अप्रार्थी सं. 1 से भूमि हथियाने के आश्य झूठे आधारों पर प्रस्तुत किया है प्रार्थी सद्भावी नहीं है ओर वांछित अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। मिन अप्रार्थीगण को नाहक पक्षकार बनाया गया है। इसलिए मिन अप्रार्थीगण प्रार्थी से विशेष हर्जाना के तौर पर कम से कम 10 हजार रूपये प्राप्त करने का अधिकारिनी है। प्रकरण प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी सं. 2 व 6 ने जबाव प्रार्थना पत्र में विरोध प्रकट करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के कथनानुसार स्वीकार जाता है तो हम अप्रार्थीगण सं. 2 व 6 को कोई उजर वा एतराज नहीं होगा।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमें बैय करने बाज व ममनु रहें ओर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलअन्दाजी करने से बाज व ममनु रहे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते [illegible] भूमि मुं अपने हिस्सा पर प्रार्थी का कभी कब्जा रहा है तथा विवा[illegible] अप्रार्थी सं. 1 स्वयंअर्जित सम्पति है। जिसमें प्रार्थी का को[illegible] अप्रार्थी सं. 1 खातेदार टिनेन्ट है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया [illegible]।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का [illegible] किया गया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित [illegible] चक 8 एम के की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के खाता न. 90/68 के प.न. 162/298 मु.न.

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]नगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:29:15 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner

के 1.771 है. भूमि नहरी भूमि राजाराम पुत्र रामरिख के नाम खातेदार दर्ज है। तकाल सं. 90 के उक्त आराजी सरस्वती पत्नि राजाराम ,1/5 हिस्सा , अलका त्री राजाराम 1/5 हिस्सा , रिछपाल पुत्र राजाराम 1/5 हिस्सा, सुनीता पुत्री जाराम 1/5 हिस्सा, सोमदत्त पुत्र राजाराम 1/5 हिस्सा के खातेदार दर्ज है। प्रार्थी सं. 1 सरस्वती देवी खातेदार टिनेन्ट है। खातेदार टिनेन्ट के विरूद्व दावा ाने का प्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में किसी भी पक्षकार ा हक तय नहीं किया जाना है। जो कि मूल वाद में दोनो पक्षों के साक्ष्य लिये ाकर मेरिट के आधार पर हक तय किया जाना है। फिलहाल को स्थगन र्थना–पत्र का ही निस्तारण किया जाना है। अप्रार्थी सं. 1 खातेदार टिनेन्ट है , ो वृद्व ओरतजात है तथा कब्जा भी उसी के पास है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मला अप्रार्थी सं. 1 पक्ष में प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी के पक्ष प्रतीत होता है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण पक्ष में प्रतीत होता है तथा सुविधा का संतुलग्न भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत ता है ,ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता ।

–:आदेश:–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के विरूद्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.08.2021 को खारिज की ाती है। प्रार्थना पत्र निर्णित होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया या।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.08.22 12:29:15 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner